

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या

प्रवेश तिथि

निर्णय दिनांक

12/45/2020

20-10-2020

18-11-2020

01. असरू पुत्र श्री छज्जू जाति मेव निवासी ग्राम मांदलाखुर्द तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0।

—अपीलांत

बनाम

01. तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर।

—रैस्पौ0

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार रामगढ़
दिनांक 27.08.2020 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व
अधिनियम प्रकरण संख्या 85/2020

उपस्थित:—

01—श्री अख्तर हुसेन

—वकील अपीलाण्ट

—निर्णय:—

अपीलांत ने यह अपील तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 27.08.2020 जिसके द्वारा अपीलांत को ग्राम मांदला खुर्द की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 420/1.91 है0 में से 0.04 है0 व 673/3.25 में से 0.25 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलांत दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्जे सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांत ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया ग्राम मांदला खुर्द की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 420/1.91 है0 में से 0.04 है0 व 673/3.25 में से 0.25 है0 पर अवैध कब्जा करने की पटवारी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 05.08.2020 को अपीलांत को अतिक्रमी मानकर बिना सुने सजा व पैनल्टी से दण्डित किया। अपीलांत को पश्चामवर्ति माना है व पूर्व में अपीलांट्स को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की सजा व पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दि0 27.08.2020 अपास्त फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलाण्ट ने आदेश दिनांक 27.08.2020 के विरुद्ध दिनांक 20.10.2020 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील में पेश शपथ-पत्र का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलांत द्वारा दिनांक 20.10.2020 को विवादित आराजी पर कब्जा नहीं होना बताया है तथा तहसीलदार रामगढ़ द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 05.11.2020 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलांत का अतिक्रमण हटाना बताया है। अतः प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्धांत एवं न्यायोचित प्रक्रियानुसार अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलांत को आरोपित सजा से मुक्त किया जाता है तथा अपीलांत को दण्ड स्वरूप पैनल्टी यथावत रखी जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 18-11-2020 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)